तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त/[illegible] कार्य से बाहर/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 16/2/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
16/2/23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभर कर सामने आये कि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 25.6.2002 द्वारा बन्सीलाल पुत्र गोकल गुर्जर निवासी ग्राम बैरना तहसील खण्डार एवं श्रीमती रामपति पत्नी बन्सीलाल निवासी ग्राम बैरना तहसील खण्डार के पक्ष में आवंटन किया गया था किन्तु तहसीलदार खण्डार द्वारा केवल बंसी पुत्र गोकल जाति गूजर निवासी बैरना तहसील खण्डार के विरुद्ध प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 पेश किया गया है। अत: ऐसी स्थिति में आवंटी श्रीमती रामपति पत्नी बन्सीलाल गुर्जर निवासी ग्राम बैरना तहसील खण्डार को बिना सुने निर्णय पारित किया जाना न्याय हित में सही नहीं होगा। अत: तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारो की जाँच कर पुनः नये सिरे से प्रकरण न्यायालय हाजा [illegible] भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:02:35 IST
Reason: SelfAttested